हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर अहकाम हुक्म मे ...

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 129 / 2010 उनवान मंगलचन्द बनाम चैनमल

29/4/16 पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] द्वारा [illegible] किशनगढ़ [illegible] [illegible] 0 सा. [illegible] के समक्ष दि. 06/5/16 को पेश हो।

06/5/16 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील अप्रार्थी ने एक प्रा० पत्र पेश किया,
वकील प्रार्थी ने आपत्ति व्यक्त की, नकल
दिलवाई गई।
पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र दिनांक 20/5/16
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

20/5/2016 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील अप्रार्थी ने प्रा० पत्र दिनांक 6/5/16 का जवाब
पेश नहीं कर सीधे ही बहस का निवेदन किया गया।
बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।
प्रा० पत्र दिनांक 06/5/2016 सारहीन होने से खारिज
किया जाता है।
वकील उभयपक्ष की मूल प्रा०पत्र धारा 251 ए पर बहस सुनी
गई। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन

.... लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 171 / 2020 उनवान मंगलचन्द बनाम चौथमल
	किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 A. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लेखबद्ध कर पत्रावली के शा. किया गया। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नंबर से कम हो। WD
	उपखण्ड अधिकारी **किशनगढ़**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 171 / 2020

1. मंगलचन्द पुत्र श्री रामदयाल आयु बालिग वर्ष जाति माली (कच्छावा) निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1.श्री चौथमल पुत्र श्री दीना आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती नौरती देवी पत्नी स्व. श्री शंकर लाल आयु बालिग जाति जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील, किशनगढ जिला अजमेर (राज.) तहसील, किशनगढ
3. कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री शंकर लाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
4.कमल किशोर पुत्र स्व. श्री शंकर लाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
5. मोहन पुत्र स्व. श्री शंकर लाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
6. गुलाबचन्द पुत्र स्व. श्री शंकर लाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ तहसील किशनगढ जिलां अजमेर (राज.)
7. सोहन पुत्र स्व. श्री शंकर लाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
8.सुनीता पुत्री रय. श्री शंकर लाल पत्नी श्री सुरेश आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
9. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
10. चन्द्रनारायण पुत्र रामलाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
11. मंगलचन्द पुत्र रामलाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
12 संजू उर्फ संजय पुत्र रामलाल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
13. किशन पुत्र स्व. छोटू आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

फोटोस्टेट प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर

आदेशानुसार
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

नीतू मीणा
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

14. भागचन्द पुत्र स्व. छोटू आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

15. दौली पुत्री स्व. छोटू पत्नी बनवारी आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

16. छोटी पत्नी श्री राधाकिशन आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाडी किशनगढ जिला अजमेर राज.।

17. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री चौथमल आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

18. श्रीमती अनिता पत्नी श्री रामस्वरूप आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज)

19. मोहन पुत्र राधाकिशन आयु बालिग जाति माली निवासी गालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

20. मांगीलाल पुत्र रामनारायण आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

21. जगदीश पुत्र श्री रामनारायण आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

22. श्रीमती भँवरी देवी पुत्री श्री रामनारायण आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

23. श्रीमती तुलसी देवी पुत्री श्री रामनारायण आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

24. पूनम पुत्री श्री रामनारायण आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

25.विमला देवी पुत्री श्री रामनारायण आयु बालिग जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

26. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 20/5/2016

उपस्थितः: वकील प्रार्थी श्री परमानन्द शर्मा व वकील अप्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार रामचन्दानी

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज. का. अधि. 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम किशनगढ पटवार हल्का किशनगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2372 रकबा 5 बिस्वा सम्पूर्ण प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा खसरा संख्या 2373 में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा निहित है प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2372 व खसरा संख्या 2373 गै.मु. चाह की भूमि आपस में लगती हुई है। कृषि भूमि खसरा संख्या 2372 व 2373 के लगता हुआ उत्तर दिशा में रास्ता स्थित है जिसके खसरा

(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

संख्या 2374 है। उक्त रास्ता किसी आम रास्ता से जुड़ा हुआ नहीं है। उक्त रास्ता के पश्चिम दिशा में कृषि भुमि खसरा संख्या 2366 है। खसरा संख्या 2366 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 के पति, अप्रार्थी संख्या 3 से लगायत 8 के पिता श्री शंकरलाल पुत्र दीना, अप्रार्थी संख्या 9, अप्रार्थी संख्या 10 अप्रार्थी संख्या 11 व अप्रार्थी संख्या 12 है। अप्रार्थी संख्या 2 के पति अप्रार्थी संख्या 3 से लगायत 8 के पिता श्री शंकरलाल पुत्र दीना की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 से लगायत 8 के पति/पिता श्री शंकरलाल की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 से 8 को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण खोला जाकर खातेदारी अधिकारों का अंकन नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त रास्ता खसरा संख्या 2374 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 12 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 व अप्रार्थी संख्या 13 से 15 के पिता छोटू लाल पुत्र श्योबक्ष, अप्रार्थी संख्या 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 व 25 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2364 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 13 से 15 के पिता छोटू लाल पुत्र श्योबक्ष की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 13 से 15 के पिता छोटू लाल की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 13 से 15 को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है परन्तु राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण खोला जाकर खातेदारी अधिकारों का अंकन नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 व 2364 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता हुआ आम रास्ता स्थित है जिसके खसरा संख्या 2324 है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पेरा नं. में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2372 व 2373 पर आने जाने हेतु मुख्य आम रास्ता से लगाकर/सटाकर कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 2372 व 2373 के लगता हुआ उत्तर दिशा में रास्ता स्थित है जिसके नम्बर 2374 है। उक्त रास्ता के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी की कृ षि भूमि खसरा संख्या 2366 व अप्रार्थी संख्या 13 से 25 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2364 स्थित है। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 व 2364 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता हुआ आम रास्ता स्थित है जिसके खसरा संख्या 2324 है। प्रार्थी खसरा संख्या 2324 में स्थित रास्ता से खसरा संख्या 2366 व 2364 से होकर खसरा संख्या 2374 में स्थित रास्ता से होकर प्रार्थी की खसरा संख्या 2372 व 2373 की भूमि पर आते जाते रहे है। उक्त रास्ता 15 से 20 फीट की चौड़ाई का स्थित था। कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा के अप्रार्थी संख्या 1. अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के पति/पिता शंकरलाल पुत्र दीना, अप्रार्थी संख्या 9, 10, 11 व 12 खातेदारों के द्वारा उक्त भूमि का विभाजन कर लिया गया है। विभाजन के पश्चात् खसरा संख्या 2366 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 2366 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 2366/1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 2366/5 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 2366/3 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 2366/3/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 2366/3/2 रकबा 11 बीस्वा, खसरा संख्या रकबा 11 बिस्वा बने है परन्तु उक्त का अंकन राजस्व नक्शा ट्रेस में नहीं हो रखा है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 2372 व 2373 पर आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में वर्णित रास्ता का आप्रार्थी संख्या 1 से 12 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 व अप्रार्थी संख्या 13 से 25 की कृषि भूमि में उक्त रास्ता का अंकन नहीं होने के कारण उक्त का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत फायदा लेकर प्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 12 से मिलाभगति करके जून 2020 के प्रथम सप्ताह में उक्त रास्ता पर बिलायती बबूल लगाकर बाड़ कर दी गई जिसके कारण रास्ता अवरूद्ध हो गया था। जिसकी शिकायत प्रार्थी के द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ के यहाँ किये जाने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ के द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, किशनगढ़ को

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

रास्ता खुलवाने हेतु पत्र जारी किया गया था जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक किशनगढ़ व पटवारी हल्का किशनगड से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक किशनगढ़ व पटवारी हल्का किशनगढ़ के द्वारा दिनांक 9.06.2020 को मौके पर जाकर जाँच करने पर रास्ता अवरूद्ध करना पाये जाने पर कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 के खातेदार चौथमल की मौजूदगी में रास्ते में डाले गये बिलायती बबूल को हटवाकर रास्ता खुलवाया गया था जिसके बाबत मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। उक्त बिलायती बबूल को हटाकर रास्ता सुचारू करने के बाद पुनः अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 12 से मिलाभगति करके षड्यंत्र रचकर खसरा संख्या 2364 व 2366 में स्थित पुराने बने रास्ते में पीलर लगाकर, तारबन्दी करके रास्ता को सकड़ा कर दिया गया है जिसके कारण प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि के आस पास के स्थित खातेदार उक्तरास्ते से होकर कृषि यंत्र ट्रेक्टर इत्यादि लाकर लेजाकर कृषि भूमि की हंकाई जुताई कर फसल की बुवाई करने बाधा उत्पन्न हो गई है जिस पर उक्त की शिकायत खातेदारों द्वारा करने पर श्रीमान् श्रीमान् तहसीलदार महोदय, किशनगढ द्वारा दिनांक 15.07.2020 को आदेश कर सीमाज्ञान हेतु टीम गठित की गई थी जिसके तहत दिनांक 18.07.2020 को मौका देखकर, नाप चौप कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। उक्त मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 2366 के खातेदार अप्रार्थी संख्या के द्वारा रास्ते में सीमेन्ट के पीलर लगाकर तारबन्दी कर रास्ते को सकड़ा कर अवरूद्ध करना पाया गया। इस पर राजस्व अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 के खातेदार चौथमल को रास्ते में पिलर लगाकर तारबन्दी कर रास्ते को किये गये अवरुद्ध को हटाकर पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु समझाया गया। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पूर्व की स्थिति बहाल करने से इन्कार कर उसके द्वारा रास्ते पर पिलर लगाकर की गई तारबन्दी को नहीं हटाया, खसरा संख्या 2366 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पुराने चले आ रहे रास्ते पर पिलर लगाकर, तारबन्दी कर रास्ता को सकड़ा करने व राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त को हटाकर रास्ता को पूर्व की भाँति करने की समझाईश करने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा रास्ता को पूर्व की भॉति बहाल कर सुचारू नहीं करने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर कृषि यंत्र ट्रेक्टर इत्यादि लाकर लेजाकर कृषि भूमि की हंकाई जुताई कर बुवाई नहीं कर सका जिसके कारण प्रार्थी की कृषि भूमि पड़त रह गई। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में कृषि भूमि खसरा संख्या 2364 व 2366 में बताया गया उक्त रास्ता काफी पुराना होकर वर्षों से चला आ रहा है। जहाँ से प्रार्थी के अलावा अन्य खातेदार भी आते जाते रहे है तथा कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि लाकर लें जाकर कृषि भूमि की हंकाई जुताई कर बुवाई करते आ रहे थे। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पुराने रास्ते को सकड़ा कर दिये जाने के कारण कृषि यंत्र, ट्रेक्टर इत्यादि लाकर ले जाकर फसल की बुवाई नहीं कर राके जिसके कारण प्रार्थी की व अन्य खातेदारों की कृषि भूमि पड़त रह गई। प्रार्थी व अन्य खातेदारों के द्वारा अप्रार्थी संख्या के द्वारा रास्ते में पिलर लगाकर, तारबन्दी कर रास्ता को सिकड़ा कर अवरूद्ध करने की शिकायत उच्च अधिकारी को गई। परन्तु खसरा संख्या 2366 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा रास्ते में पिलर लगाकर की गई तारबन्दी को नहीं हटाया जिसके कारण रास्ता सकड़ा होने के कारण कृषि यंत्र, ट्रेक्टर इत्यादि लाकर ले जाकर कृषि भूमि की हंकाई जुताई कर बुवाई करने से प्रार्थी वंचित हो गया है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में वर्णित रास्ता काफी वर्षों से चला आ रहा था। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु एकमात्र सुगम, लघुतम, निकटतम रास्ता है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के बाबत प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में वर्णित रास्ता की आवश्यकता आत्यान्तिक आवश्यकता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

है, उक्त रास्ता ही प्रार्थी की उक्त भूमि पर पहुँचने हेतु लघुतम्, सरलतम रास्ता है, उक्त के अलावा अन्य कोई रास्ता आने जाने हेतु नहीं है न ही कभी रहा है। वर्तमान युग मशीनरी युग है। कृषि यंत्रों, मशीनों से ही कृषि भूमि का समुचित व सही उपयोग करके अच्छी ऊपज समय पर प्राप्त की जा सकती है इस कारण कृषि भूमि की अच्छी ऊपज समय पर लेने हेतु कृषि यंत्रों/मशीनों ट्रेक्टर इत्यादि का कृषि भूमि पर आना जाना आवश्यक है। कृषि यंत्र / मशीनों, ट्रेक्टर इत्यादि को लाने ले जाने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 व अप्रार्थी संख्या 13 से 25 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2364 का नाप चोप कर उक्त के मध्य सींव सीव पर जिसको संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है, लाल स्याही से को 30 फीट चौड़ाई का रास्ता लम्बाई तक दिया जाना आवश्यक है तथा उक्त की तरमीम राजस्व नवशा में कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त का अंकन किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या में वर्णित कृषि भूमि के लिये पास 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्राची संख्या 1 से 12 व 13 से 25 की भूमि के मध्य से जिसको दर्शाया गया है, प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि को रास्ता के रूप में राजस्व नक्शा में तरमीम करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का संलग्न नक्शा में लाल स्याही से विधिक अधिकार है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते के लिये अप्रार्थी संख्या 1 से 12 व अप्रार्थी संख्या 13 से 25 की जाने वाली खातेदारी भूमि की राशि नियमानुसार अदा करने व जमा कराने हेतु प्रार्थी तत्पर तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण जून 2020 के प्रथम सप्ताह में उक्त रास्ता पर बिलायती बबूल लगाकर बाड़ कर दी गई जिसके कारण रास्ता अवरूद्ध हो गया। जिसकी शिकायत प्राथर्थी द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ के किये जाने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, किशनगढ को रास्ता खुलवाने बाबत पत्र जारी करने पर तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा नियुक्त राजस्व अधिकारियों के द्वारा दिनांक 09.06.2020 को रास्ता खुलवाया गया। उक्त के पश्चात् पुनः रास्ता पर पिलर लगाकर, तारबन्दी कर रास्ता को अवरूद्ध करने पर उक्त की शिकायत करने पर तहसीलदार, किशनगढ़ के द्वारा राजस्व टीम गठित की गई। राजस्व अधिकारियों की गठित टीम के द्वारा दिनांक 18.07.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ता बहाल करने हेतु कहने के बावजूद भी रास्ता की पूर्व स्थिति बहाल नहीं करने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम किशनगढ़ पटवार हल्का किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2372 व 2373 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2366 व अप्रार्थी संख्या 13 से 25 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2364 के मध्य नाप चोप करके सीव सीव के जिसको संलग्न नक्शा में लाल स्याही से के रूप में दर्शाया गया है, उक्त को राजस्व नक्शा में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त को रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2020 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 171/2020 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई।
3. दिनांक 05.03.2021 का अप्रार्थी संख्या 01 से 04 तथा 06, 07, 10, 11, 12 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असद्भाविक एवं pre mature है। क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में यह स्पष्ट अभिवाक है कि, "खसरा संख्या 2366 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 2366 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 2366/1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 2366/5 रकबा 9 बिस्वा खसरा राख्या 2366/3 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 2366/3/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 2366/3/2 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 2366/3/3 रकबा 11

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

बिस्वा है, एवं यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 सह खातेदार नही होकर, पृथक-पृथक हिस्सेदार है। जिनकी जमाबन्दी पृथक-पृथक है एवं प्रार्थना पत्र में उपरोक्त जमाबनी के विपरीत रास्तें का अनुतोष चाहा है। जो प्रथम दृष्टयां ही विधि अनुसार अवधारणीय नही है क्योंकि धारा 251-क में विशिष्टतः यह आज्ञापक है कि, जिस खातेदार की भूमि में से जितनी भूमि रास्तें के लिये जाती है उसको तद्अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने के साथ साथ राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार प्रविष्टि किया जाना आवश्यक रहता है। अतः इस परिपेक्ष में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ही सरसरे आधार से ही वांछित अनुतोष राजस्व रिकार्ड अनुसार अनुज्ञात नही है। अतः इस परिपेक्ष में प्रार्थना पत्र अपूर्ण अभिवचन के आधार पर आदेश प्रभावी नही होगा। प्रार्थीगण ने मूलतः दुर्भावयुक्त आशय से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी उत्तरकर्ता की खसरा संख्या 2366 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा जिसका प्रारंभिक आपत्ति पैरा संख्या 1 में वर्णितानुसार विभाजन होकर पृथक पृथक हिस्सेदार हो चुके है। उक्त खसरा संख्या 2366 एवं उनके विभाजित खसरें का कोई भी भाग खसरा संख्या 2324 गै०मु० रास्तें से संलग्न नहीं है। उपरोक्त प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में दुर्भावयुक्त आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से इस तथ्य का लोप किया है कि, खसरा संख्या 2372 के पूर्व दिशा में प्रार्थी की ही खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2375 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा है एवं खसरा संख्या 2375 से सटी हुयी पूर्व दिशा में खसरा संख्या 2377 गै०मु० रिकॉर्डेड रास्ता हैं। जिस पर स्वयं प्रार्थी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। यही कारण है कि, प्रार्थी ने जानबूझकर इस प्रार्थना पत्र में यह अभिवाक नही किया है कि, वह खसरा संख्या 2375 का भी सह खातेदार हैं एवं खसरा संख्या 2375 से पूर्व दिशा में लगता हुआ खसरा संख्या 2377 का गै०मु० रास्ता है। उक्त खसरा संख्या 2377 उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2234 गै०मु० रास्तें से मिलता हुआ हैं एवं यह रास्ता आगे पुरुषोत्तम नगर आबादी बस्ती से निकलकर, मुख्य सडक तक जाता है। ऐसी स्थिति में धारा 251-(अ) जैसे प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रभावी नही होते है। इस परिपेक्ष में प्रार्थी के पास उसकी भूमि खसरा संख्या 2375 जो प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा संख्या 2373, 2372 आदि से एकचक हैं पर तरमीमशुदा रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में हस्तगत्त अन्य की भूमि से रास्ते की मांग चाबत् अनुतोष अवधारर्णीय नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पटवारी के नक्शे ट्रेस के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि भूमिधारी तहसीलदार के पास कायम नक्शा एवं पटवारी के नक्शे में कई तात्विक विरोधाभास है एवं कतिपय कारणों से राजस्थान लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के प्रावधानों को नजरअन्दाज कर, पडत सरकार के राजस्व ट्रेस के विपरीत पटवार नक्शे ट्रेस में बिना किसी समुचित आदेश के परिवर्तन किया गया है एवं उक्त बाबत् अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने माननीय न्यायालय में पूर्व से ही वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहित धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों अधीन चौथमल बनाम मांगीलाल वगैरह उनवान से प्रस्तुत कर रखा है। जिसका अवधारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना है। कतिपय कारणों से राजस्थान लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के विहित प्रावधानों को जानबूझकर नजरअन्दाज किया गया है, के रहते हुये यदि आलोचित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तो एक प्रकार से उक्त त्रुटियुक्त राजस्व ट्रेस जिसके बाबत् नियमित वाद लम्बित हैं। उक्त त्रुटियुक्त राजस्व ट्रेस को एक प्रकार से सही होने बाबत् प्रमाण देना हैं। इस परिपेक्ष में भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधारर्णीय नही है। वास्तविकता तो यह है कि यह वाद कतिपय कारणों से प्रार्थी ने खसरा संख्या 2358 नाले के अतिक्रमणकारी द्वारा एवं राजस्व ट्रेस पडत पटवार में गलत रूप से अंकन किये जाने की कार्यवाही को निष्प्रभावी किये जाने की गरज में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने जानबूझकर माननीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

9 गलत अभिवचन करने के साथ साथ उक्त मिथ्या, कपटपूर्ण अभिवचनो के सही होने बाबत जानबूझकर न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दिया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 12 में यह अभिवाक किया है– "उक्त के अलावा अन्य कोई रास्ता आने जाने हेतु नहीं हैं न ही कभी रहा है।" जबकि राजस्व ट्रेस में उपरोक्त प्रार्थी के सह खातेदारी की खसरा संख्या 2375 जो मूलतः खसरा संख्या 2373 गै०गु० चाह से बिल्कुल संलग्न हैं एवं खसरा संख्या 2375 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 2377 गै०मु० रास्ता है एवं इसी प्रकार उपरोक्त गै०गु० रास्ता यथा खसरा संख्या 2234 आदि से मिलकर आर पार जाता है। इस पहलू को प्रार्थी ने जानबूझकर लोप कर माननीय न्यायालय के समक्ष गलत शपथ पत्र एवं गलत अभिवाक किया है,खसरा संख्या 2375 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 2377 रिकॉर्डेड गै०मु० रास्ता है एवं उक्त रास्ता आर–पार है। जिसे प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष जानबूझकर पूर्ण अभिवाक नहीं करते हुये इस पहलू का लोप किया है। जहां तक प्रचलित राजस्व ट्रेस जो तहसील में जमा है एवं तहसील द्वारा उपरोक्त राजस्व ट्रेस की प्रति अप्रार्थी उत्तरकर्ता को उपलब्ध करवाई हैं से प्रार्थी के कथन गलत है तथा प्रार्थी ने मनमाफिक रूप से न्यायालय को अमित किये जाने की गरज में यह प्रार्थना पत्र अर्जी संस्थित की है। खसरा संख्या 2374 भू–संशोधन संवत् 2027 के पडत सरकार के नक्शे में दर्ज नही हैं। अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 25 एवं प्रार्थी आपस में सगे–सम्बन्धी, हितबद्ध है। अप्रार्थी संख्या 16 उपरोक्त प्रार्थी मंगलचन्द के भाई राधाकिशन की पत्नी है। अप्रार्थी सख्या 17 सुशीला भी उपरोक्त प्रार्थी के भाई की पत्नी है। अप्रार्थी संख्या 18 अनिता भी उनके परिवारजन में काका–बाबा से भाईबन्ध है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 25 प्रार्थी से हितबद्ध है। यह गलत हैं कि, खसरा संख्या 2366 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 2324 गै०मु० रास्ता लगता हुआ हो। खसरा संख्या 2358 गै०मु० नाला है एवं खसरा संख्या 2366 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 2358 गै०गु० नाला है। जिस पर प्रार्थी के हितबद्ध, परिजन ने अतिक्रमण कर सकडा कर रखा है। जिसके बाबत अप्रार्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्वान्त "अब्दुल रहमान" के अनुक्रम में कार्यवाही कर रखी है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने पेशबन्दी कर यह कार्यवाही अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की गरज में रास्तें बाबत की है। खसरा संख्या 2366 की कोई भी भुजा राजस्व ट्रेस अनुसार गे०मु० रास्तें खसरा संख्या 2324 से अनुसंलग्न गही है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों के अधीन गे०मु० नाले से रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। विशेषतः ऐसी स्थिति में जब प्रारंभिक आपत्ति में वर्णितानुसार प्रार्थी के पास उसके अधिकार, खातेदारी की खसरा संख्या 2375 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 2377 गै०मु० रास्ता है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 के कथन गलत हैं एवं अस्वीकार है। खसरा संख्या 2372, 2373 आपस में जुडी हुयी हैं एवं खसरा संख्या 2375 की भूमि जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार हैं वह खसरा संख्या 2373 के पूर्व दिशा में आती हैं एवं खसरा संख्या 2375 से सटाकर पूर्व दिशा में खसरा संख्या 2377 गै०मु० रास्ता हैं। इस परिपेक्ष में जब प्रार्थी की भूमि से सटता हुआ रिकार्डेड गै०मु० रास्ता उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह अभिवाक गलत है कि, खसरा संख्या 2372 व 2373 पर पहुंचने के लिये आम रास्ता न हो। इस बाबत् अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने प्रारंभिक आपत्ति में सविस्तार अभिवाक किया है। जिसकी पुनर्रावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। इस बाबत् पूर्वोक्त प्रारंभिक आपत्ति के कथन इस पैरा के भी प्रतिउत्तर में माने जाने जाकर पढ़ें एवं समझें जावें। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 के कथन प्रार्थी ने जिस प्रकार अंकित किये हैं, वह अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि, खसरा संख्या 2366 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 2324 गै०मु० रास्तें की भूमि सटी हुयी हो। यह अस्वीकार है कि, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी उत्तरकर्ता की भूमि से जो रास्ता चाहा हैं वह कभी प्रचलित रहा हों अथवा एवं अन्यथा धारा 251–अ राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अधिनियम के प्रावधानों अधीन स्वीकार किये जाने योग्य हो। जब प्रार्थी के पास आवागमन के लिये उसकी अनुसंलग्न खसरा संख्या 2375 के पूर्व दिशा में रिकार्डेड रास्ता खसरा संख्या 2377 हैं जो आगे जाकर खसरा संख्या 2234 में मिलता हैं। इस परिपेक्ष में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टयां ही निरस्तनीय है। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने असदभाविक रूप से प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 के कथन में खसरा संख्या 2366 का विभाजन होना स्वीकार हैं। विभाजन होने के पश्चात् पृथक-पृथक हिस्सेदार होना स्वीकार है। जिनकां अप्रार्थी प्रारंभिक आपत्ति में ही सविस्तार अभिवाक कर चुका है एवं प्रार्थी ने मिथ्या आधारों पर अपरिपक्व रूप से गलत कथन अभिवाक करते हुये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वास्तविकता तो यह है कि, पडत पटवार के नक्शे ट्रेस में राजस्थान लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्यवाही किये जाने के साथ साथ, उपरोक्त प्रार्थी के हितबद्व द्वारा जो खसरा संख्या 2358 गै०मु० नाला हैं में अतिक्रमण किये जाने के बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त "अब्दुल रहमान" में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुक्रम में शिकायत की गयी है। उक्त कारण से अप्रार्थी उत्तरकर्ता को हैरान परेशान करने की गरज में उपरोक्त प्रार्थी ने अपने परिजन अन्य अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 15 की पेशबन्दी में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 6 के कथन में लेख है कि, राजस्व ट्रेस में जिस खसरा संख्या 2364 का उल्लेख किया गया हैं वह प्रार्थी सहित उसके परिजन अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 25 ने राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर, गलत रूप से अंकित करवाया है। भू-संशोधन के प्रचलित राजस्व ट्रेस सम्वत 2027 का लट्ठा जो तहसील कार्यालय में स्ंदक तमबवतक वपिबमत होने के नाते उपलब्ध है एवं जिससे अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने प्रमाणित प्रति प्राप्त की हैं में खसरा संख्या 2364 अंकन नही है। इसके विपरीत पडत पटवार में जो सम्वत् 2027 का राजस्व ट्रेस उपलब्ध हैं में राजस्थान लेण्ड रिकार्ड रूल्स के विपरीत बिना किसी सक्षम आदेश के गलत रूप से खसरा संख्या 2364 अंकित किया गया है एवं उक्त त्रुटियुक्त प्रविष्टि को प्रार्थी गाननीय न्यायालय के आदेश से, माननीय न्यायालय में पूर्व से ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सहित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अधिनियम की धारा 131 व 136 के अधीन कार्यवाही लम्बित है। जिसके परिपेक्ष में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधारर्णीय नहीं है। जहां तक इस पैरा में 09 जून 2020 की भू-अभिलेख निरीक्षक किशनगढ व पटवारी हल्का किशनगढ़ की रिपोर्ट हैं, वह विधि से प्रतिकूल है। किसी भी निजी खातेदार की भूमि में से राजस्व रिकार्ड के विपरीत रास्ता न तो प्रस्तावित किया जा सकता है, न ही रास्ता दिया जा सकता है। इस पहलू पर यह अभिलेख भी किया जाना अयुक्तियुक्त एवं अविधिगत नही रहेगा कि फसल खडी रहते हुये राज्य सरकार का स्थाई आदेश रहता है कि, उक्त अवधि दौरान न तो खडी फसल में जरीब चलाई जा सकती हैं, न ही नाप चौक संभव रहती है। प्रार्थी एवं उसके हितबद्व व्यक्तियों द्वारा राजस्व नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही की गयी थी। जिसके बाबत् अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने दिनांक 20.07.2020 को तहसीलदार किशनगढ सहित, उपखण्ड अधिकारी महोदय, जिला कलक्टर महोदय, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर, श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को शिकायतें एवं सूचना दी है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 7 के कथन गलत हैं एवं अस्वीकार है कि, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा मिलीभगत कर, खसरा संख्या 2366 पर अवैध, अनाधिकृत रूप से पिल्लर लगाकर तारबन्दी की हो। यहां पर यह निवेदन किया जाना असुसंगत नही होगा कि, न तो अप्रार्थी उत्तरकर्ता की भूमि में से कोई रास्ता प्रचलित रहा हैं, न ही प्रार्थी को अप्रार्थी उत्तरकर्ता की भूमि में से रास्ता निकालने का कोई विधिक अधिकार है, न ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार अवधारर्णीय हैं, बल्कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता की भूमि को प्रार्थी के हितबद्धों ने गलत रूप से दबा रखा है

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

एवं खसरा संख्या 2358 गै०मु० नाले की भूमि पर भी उन्होने अतिक्रमण कर रखा है। जहां तक इस पैरा में दिनांक 18.07.2020 का मौका पर्चा हैं, वह एक पक्षीय रूप से जब खेतों में फसल खडी थी केवल अनुमान के आधार पर तैयार किया गया है। अन्यथा भी मौके पर्चे से कोई विधिक अधिकार नहीं बनते है। जब प्रार्थी के पास स्वयं की भूमि के लिये पहुंच बाबत् रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251क के अधीन प्रार्थना पत्र अवधारणीय नहीं है। अन्यथा भी इस पैरा में वर्णित रिपोर्ट मूलतः खसरा संख्या 2372 व 2373 के लिये नहीं है। यदि माननीय न्यायालय खसरा संख्या 2372 व 2373 के रास्तें के बाबत् उपरोक्त प्रार्थी के सह खातेदारी की खसरा संख्या 2375 से जुडी हुयी भूमि से अनुसंलग्न रास्तें के बाबत् प्रथम दृष्टयां ही राजस्व ट्रेस को दृष्टिगत करती हैं तो उस राजस्व ट्रेस से ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत प्रमाणित हो जायेगा। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 8 के कथन हास्यास्प्रद है। जब प्रार्थी की खसरा संख्या 2375 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 2377 रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह आक्षेप कि, उसके पास रास्ता नही होने से वह जमीन की बुवाई नही कर पाया, माने जाने विश्वास किये जाने योग्य नही है। इस पैरा के कथन पूर्णतः गलत हैं एवं अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र पैरा संख्या 9 के कथन गलत है एवं अस्वीकार है। अप्रार्थी उत्तरकर्ता की भूमि खसरा संख्या 2366 में कोई रिकॉर्डेड रास्ता नही है। यदि उपरोक्त रिकॉर्डेड रास्ता होता तो किशनगढ में एकीकरण, भू-संशोधन में इसका इन्द्राज राजस्व ट्रेस में होता। प्रार्थी ने अपने हितबद्ध अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 25 से मिलीभगत कर एवं अन्य व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचाने की गरज में अप्रार्थी उत्तरकर्ता पर दबाव बनाने की गरज में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थना पत्र में सारभूत तथ्यों का लोप किया है। प्रार्थी स्वयं की खसरा संख्या 2375 के पूर्व दिशा में दर्ज राजस्व रिकार्ड में रिकॉर्डेड रास्तें खसरा संख्या 2377 से आवागमन, काश्त कार्य करता आ रहा है। यह पहलू सामान्य धारणा की है कि, जब रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध हों तो क्यों कर कोई अन्य के भूमि में से निकलने का प्रयास करेगा। इस परिपेक्ष में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्तविकता एवं सत्यता से परे है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 10 के कथन में लेख है कि, यदि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्व मिथ्या शिकायत की गयी हैं तो उससे अप्रार्थी उत्तरकर्ता के साम्पत्तिक अधिकार संकुचित नही होते है। बल्कि यहां पर यह निवेदन किया जाना असुसंगत नहीं होगा कि, प्रार्थी एवं उनके हित्तबद्ध व्यक्तियों ने गलत रूप से अप्रार्थी उत्तरकर्ता की सम्पत्ति में से जबरन रास्ता निकाले जाने बाबत् असफल प्रयास किया था। जिसके बाबत् अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने दिनांक 20.07.2020 को राजस्व रिकार्ड का प्रकटीकरण करते हुये समस्त तथ्यों का प्रकटीकरण किया एवं उक्त तथ्यों का संज्ञान मिलने पर एवं इस पश्चात् भी प्रार्थी एवं उसके हितबद्ध मिथ्या शिकायतों से बाज आये है एवं उन्होने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने अविधिक कार्य को सही ठहराने की गरज में अप्रार्थी पर दबाव बनाने की गरज में यह प्रार्थना पत्र मिलीभगत कर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 11, 12 के कथन गलत हैं एवं अस्वीकार है कि. प्रार्थी के पास इस प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्तें के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न हों एवं उपरोक्त रास्ता एकमात्र ही रास्ता हों। प्रार्थी की भूमि के लिये जो रिकॉर्डेड रास्ता हैं, वह विशिष्टतः प्रारंभिक आपत्ति में सविस्तार अंकित किया गया है। प्रार्थी ने दुर्भावयुक्त आशय से तथ्यो का लोप कर, यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्य सही होने बाबत् गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के पास उसके सह खातेदारी की खसरा संख्या 2375 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 2377 का रिकॉर्डेड वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। खसरा संख्या 2375 के पूर्व दिशा में रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध है। जहां से आराम से काश्त के लिये ट्रेक्टर आदि आ जा सकते है। केवलमात्र अप्रार्थी उत्तरकर्ता पर दबाव बनाने की गरज में यह वाद प्रस्तुत किया है। जहां तक अप्रार्थी उत्तरकर्ता की खसरा संख्या 2366 के उत्तरी सींव एवं 2364

उपखण्ड अधिकारी,
किशनगढ़

के दक्षिणी सींव को डॉटेड करके रास्ता चाहा गया है, वह रास्ता किसी भी स्थिति में खसरा संख्या 2324 से नही जुडता है एवं खसरा संख्या 2366 की पश्चिमी सारी भुज। गै०मु० नाले खसरा संख्या 2358 से लगता हुआ है। यह पहलू प्रथम दृष्टयां ही राजस्व ट्रेस के सरसरें अवलोकन से भी प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में नाले की किरग रारतें के रूप में न तो परिवर्तित की जा सकती हैं, न ही इस बाबत् प्रार्थी को किसी प्रकार से अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्ध विधिक अधिकार सृजित होते है। यह अस्वीकार है कि, कृषक को आवागमन के लिये 30 फीट का रास्ता होना आवश्यक रहता हो। ट्रेक्टर की सामान्यतः चौडाई यदि ट्रोली भी लगी हुयी रहती हो तो 8 फीट से ज्यादा चौडी नहीं होती है। अप्रार्थी उत्तरकर्ता के संज्ञान में दुनिया में कृषि उपयोग का ऐसा कोई भी वाहन यन्त्र ट्रेक्टर नही होगा जिसकी चौडाई 30 फीट हो। प्रार्थी द्वारा इस बाबत् विशिष्ट तथ्य उल्लेख किये जाने पर अप्रार्थी उत्तरकर्ता पुनः संशोधित जवाब प्रस्तुती अधिकार सुरक्षित रखता है। अन्यथा भी इस पैरा के कथन में वर्णित अनुसार यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अनुसंलग्न मानचित्र अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इष्टान्त "अब्दुल रहमान" जो निर्देशात्मक श्रेणी का हैं की पूर्णतः अवमानना करना है। उक्त रिपोर्ट राजस्व नियमों के प्रतिकूल एक पक्षीय रूप से व्यक्ति, विशेष को लाभान्वित करने की गरज में तैयार की गयी है। प्रार्थी को उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 2366 के बाबत् वाद संस्थन का कोई कारण अधिकार उत्पन्न नही होता है। यह प्रार्थना पत्र मूलतः प्रार्थी के हितबद्धों द्वारा खसरा संख्या 2358 गै०मु० नाले पर अतिक्रमण किये जाने के साथ साथ अन्य परिपेक्ष में दबाव बनाने की गरज में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि प्रार्थी को संज्ञान है कि, उपरोक्त उसके हितबद्ध एवं अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 25 ने पडत सरकार के राजस्व ट्रेस एवं पडत पटवार के राजस्व ट्रेस में उन्होने सारभूत परिवर्तन परिवर्धन अपने हितों को दृष्टिगत करते हुये करवाया है। जिसके बाबत् माननीय न्यायालय में पूर्व से ही राजस्व प्रकरण विचाराधीन होकर लम्बित है। इस परिपेक्ष में भी नियमित वाद लम्बित रहते हुये हस्तगत प्रार्थना पत्र के अधीन संस्थन का कोई कारण सृजित नही होता है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 17 के कथन में निवेदन है कि, यदि अप्रार्थी संख्या 26 को हस्तगत प्रकरण में संयोजित किया गया हैं तो न्यायालय के समक्ष पूर्ण, वास्तविक तथ्य उपलब्ध रहें इस हेतु पडत सरकार के राजस्व ट्रेस सम्वत 2027 जो प्रचलित ट्रेस हैं को तलब फरमाया जावें एवं इसके साथ साथ उपरोक्त पडत पटवार के राजस्व ट्रेस की प्रति तलब फरमाई जावें। जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टयां ही सरसरें आधार पर यह प्रमाणित हो जायेगा कि, किस प्रकार राजस्थान लेण्ड रिकार्ड रूल्स के विपरीत पडत्त पटवार के राजस्व मानचित्र में प्रविष्टियां अंकित की गई हैं एवं किस प्रकार खसरा संख्या 2358 गै०पु० नाले की चौडाई, लम्बाई सकडी की गयी है एवं किस प्रकार जो रिक्त भूमि थी में प्रार्थी एवं उसके हितबद्ध अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 25 को लाभान्वित किये जाने की गरज में खाली ब्लॉक में खसरा संख्या 2364 अंकित किया गया है। इसी अनुकम में श्रीमान् के रामक्ष सारी स्थिति प्रथम दृष्टयां ही प्रमाणित हो जायेगी एवं विशेषतः ऐसी स्थिति में जब गै०मु० नाले के बाबत् पडत पटवार के ट्रेस में बिना अनुमति के परिवर्तित किया गया हों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशात्मक न्याय निर्णय "अब्दुल रहमान" में प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत अनुतोष चाहा जा रहा हों। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 18 के कथन में लेख है कि, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जच प्रार्थी के पास उसकी ही खातेदारी की खसरा संख्या 2375 की भूगि के पूर्व दिशा में रिकार्डेड रास्ता खसरा संख्या 2377 उपलब्ध हैं एवं खसरा संख्या 2375 प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खसरा संख्या 2372 व 2373 से अनुसंलग्न हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर) किशनगढ़

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

प्रभावी नहीं होते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्च सहित निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावें।

4. दिनांक 05.03.2021 को बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 05, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 31.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 16 से 21 की ओर से सहमति का जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि यदि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। दिनांक 22.09.2021 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम किशनगढ़ स्थित वादी की खातेदारी भूमि के खसरा नं. 2372, 2373 में आवागमन हेतु रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रतिवादी के खसरा संख्या 2364 में से रास्ता चाहने के क्रम में बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है आवेदित भूमि में आवागमन हेतु निकटतम व सुगम रास्ता खसरा नं. 2364 व 2366 में से होकर जाता है। वादीगण वर्तमान में इसी रास्ते का उपयोग आवागमन हेतु कर रहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के लिए निम्न प्रकार भूमि अवाप्त की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार है(ए) खसरा नं 2364 में से 0.0584 हैक्ट, (बी) खसरा नं. 2366 में से 0.0592 हैक्टे. कुल किता–2 कुल रकबा 0. 1176 हैक्टे. भूमि अधिग्रहित्त की जानी है। (3) अधिग्रहण हेतु उपवर्णित प्रस्तावित खसरो की वर्तमान डी.एल.सी दर 310500 रू प्रति बीघा है।

5. दिनांक 05.04.2022 को बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 07.02.2024 को वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण संख्या 148/2020 को संलग्न कर सुनवाई किये जाने बाबत का पेश किया जिसे दिनांक 05.05.2025 को खारिज कर दिया गया। दिनांक 11.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 16.01.2026 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट बाबत रास्ता की पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वर्तमान में खसरा न. 2364 व 2366 में रास्ता चालू है। प्रार्थी के स्वयं की सहखातेदारी भूमी वर्तमान में बरसात के पानी के निकासी नहीं होने से जल भराव है खसरा नं 2364 में से 146 मी.ल. गुणा मी. चौडाई 584 वर्ग मीटर एवं खसरा नं 2366 में से 148 मी. ल. गुणा 4 मीटर चौडाई 592 वर्ग मीटर इस तरह दोनो खसरों का कुल रकबा (1176) वर्ग मी. प्रस्तावित रहेगा। प्रस्तावित रकबे की वर्तमान डी.एल.सी. दर 3025,300 प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 3,55776 रूपये होती है प्रस्वावित रकबे के अनुसार दुगुनी करने पर 7[illegible]552 बनती है।

6. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.01.2026 से जाहिर है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी में जलभराव रहता है जिससे उक्त खसरे से रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा धारा 251 ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि संक्षिप्त प्रक्रिया प्रार्थना पत्र है जिसमें प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं अन्य निकटतम मार्ग नहीं है, प्रार्थी को तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट के अनुसार कृषि कार्य हेतु आवागमन बाबत 04 मीटर चौडा रास्ता दिया जा सकता है जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

आदेश

र्थना पत्र, तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम किशनगढ ए स्थित भूमि खसरा संख्या 2364, 2366 में से 04 मीटर चौडे रास्ते के अनुसार रकबा अधिग्रहित किया जावे । 04 मीटर चौडाई के प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 1176 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर 30,25300/– रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार ख0नं0 2364 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 584 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 2366 में से 592 वर्गमीटर भूमि हेतु निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 7,11,552 /– अक्षरे सात लाख ग्यारह हजार पांच सौ बावन रूपये होती है, जो प्रार्थी द्वारा, राजस्व मण्डल सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 में प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 1176 वर्ग मीटर भूमि की प्रतिभूति राशि 7,11,552 /– अक्षरे सात लाख ग्यारह हजार पांच सौ बावन रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2021/4977 दिनांक 17.09.2021 तथा 2026/412 दिनांक 16.01.2026 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 1176 वर्गमीटर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थीगण को उनके हिस्से के अनुसार आनुपातिक रूप से नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़।